JAISALMER DAILY NEWS

www.jaisalmer.rajasthan.gov.in JaisalmerDistrict JaisalDistrict jaisalmerdistrict 06-05-2020, Wednesday

जैसलमेर - कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम की दैनिक समीक्षा बैठक, जिला कलक्टर ने दिए कड़े निर्देश - होम क्वारेंटाईन की प्रभावी पालना सुनिश्चित कराएं, जांच के लिए सैम्पल की संख्या बढ़ाएं, बड़े कस्बों में भी करें जांच

जैसलमेर, 06 मई/जिला कलक्टर नमित मेहता ने कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम तथा लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश कि जिले की सीमा से प्रवेश करने वाले प्रत्येक प्रवासी की प्रभावी ढंग से मेडिकल स्क्रीनिंग हो तथा इन प्रवासियों के होम क्वारेंटाईन की गंभीरता से कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित कराएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी व्यक्ति बाहरी जिलों एवं अन्य प्रांतों से यहां आ रहे हैं उसकी सूचना तत्काल मिले एवं यदि वे होम क्वारेंटाईन की पालना नहीं करते हैं तो उनको प्रशासन द्वारा संचालित क्वारेंटाईन केन्द्रों पर रखा जाए।

जिला कलक्टर मेहता ने बुधवार को जैसलमेर जिला कलेक्ट्रट सभागार में आयोजित जिलाधिकारियों को बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि चैकपोस्टों के अतिरिक्त अन्य मार्गो से कोई प्रवासी गांव में पहुंचता हैं तो उसकी सूचना अवश्य ही मिलनी चाहिए एवं उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए। इसके लिये ए.एन.एम ,पटवारी ,ग्रामसेवक को पाबंन्द कर दें। उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले प्रत्येक प्रवासी पर विशेष नज़र रखने की हिदायत दी एवं होम क्वारेंटाईन की पालना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे।

मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद ही हो पाए प्रवेश

जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में स्थापित चैक पोस्टों पर प्रत्येक प्रवासी की प्रवेश के समय मेडिकल जांच के बाद ही उसे प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की राय पर जिन प्रवासियों को होम क्वारेंटाईन में रखना हैं उनको पूरी जानकारी भी प्रदान कर दें एवं बताया जाए कि चिकित्सक परामर्श के अनुरूप वे स्वास्थ्य का लाभ लेंगे।

जांच के लिए सेम्पल्स की संख्या बढ़ाएं

जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि वे जिले में सैम्पल जांच में बढ़ोतरी लायें एवं कम से कम 100 से 150 सैम्पल जांच के नमूने लिए जाकर उनको जांच के लिए बाड़मेर भिजवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने शहरी क्षेत्र के साथ ही बड़े-बड़े कस्बों में रैंण्डम सैम्पल जांच लेने के निर्देश दिए। उन्होंने

शहरी क्षेत्र में भी वार्ड वार टीमों का गठन कर बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों पर कड़ी नज़र रखने एवं उनकी होम क्वारेंटाईन की स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए।

कोविड केयर सेंटर स्थापित करें

जिला कलक्टर ने जिले में केन्द्र एवं राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कोविड-19 डेडीकेटेड केयर सेंटर केन्द्रों का चिह्निकरण कर उसमें निर्धारित नियमों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता से करने पर बल दिया।

बैठक में सचिव नगर विकास न्यास अनुराग भार्गव, उपायुक्त उपनिवेशन देवाराम सुथार, उपखण्ड अधिकारी दिनेश विश्नोई, नगरपरिषद आयुक्त बृजेश राय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के. बारूपाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल.बुनकर, जिला रसद अधिकारी भागुराम महला, उप निदेशक कृषि विस्तार राधेश्याम नारवाल, जिला टिड्डी नियंत्रण अधिकारी राजेश कुमार भी उपस्थित थे।

---000---

जैसलमेर - जिला स्तरीय टिड्डी नियंत्रण समिति की बैठक,

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने ली बैठक,

वाहनों की दरों एवं अन्य व्यवस्थाओं के निर्धारण पर हुई चर्चा

जैसलमेर, 06 मई/अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.विश्नाई की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय टिड्डी नियंत्रण समिति की बैठक हुई। इसमें वाहनों की दरों के साथ ही ट्रैक्टरों एवं पानी के टैंकरों के दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तार से समीक्षा की जाकर उसे अंतिम रूप दिया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने निर्धारित दरों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अच्छे स्तर के वाहन किराये पर लेने के निर्देश दिये गए।

कार्ययोजना बनाकर करें कार्यवाही

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी विश्नोई ने टिड्डी नियंत्रण के संबंध में अभी से ही कार्ययोजना बना कर ठोस कार्यवाही अमल लाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने टिड्डी विभाग के अधिकारियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को समय रहते संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सीमा क्षेत्र के गाँवों में जहां से टिड्डी दल के प्रवेश की संभावना अधिक रहती हैं वहां पर टिड्डी दल विभाग को अपनी टीमें तैनात करने पर सलाह दी गई ताकि समय रहते टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही अमल में लायी जा सकें। बैठक के दौरान राजस्व एवं कृषि विभाग को टिड्डी नियंत्रण के सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर रिसोर्स के चयन की कार्यवाही करने पर भी समीक्षा की गई।

जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपनिदेशक कृषि विस्तार राधेश्याम नारवाल नेविचारणीय बिन्दुओं को विस्तार से रखा। बैठक में उपायुक्त उपनिवेशन देवाराम सुथार, उप वन संरक्षक बेगाराम जाट, कोषाधिकारी देवकृष्ण पंवार, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़, प्रबंध निदेशक सहकारी बैंक जगदीश सुथार सहित कृषि विभाग के अधिकारी एवं जिला टिड्डी नियंत्रण अधिकारी राजेश कुमार भी उपस्थित थे।

--000--

जिला कलक्टर ने टिड्डी नियंत्रण के लिए ठोस प्रयासों में जुटने के निर्देश दिए

जैसलमेर, 6 मई/जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिले के टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों के लिए हर स्तर पर सभी संभव ऐहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

जिला कलक्टर ने बुधवार को जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभाकक्ष में टिड्डी नियंत्रण से संबंधित तैयारियों पर चर्चा करते हुए यह निर्देश दिए।

ग्रामस्तर पर सूचना तंत्र को बनाएं प्रभावी

जिला कलक्टर ने टिड्डी नियंत्रण के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ग्राम स्तर पर कमेटियों का गठन कर सूचना तंत्र को मजबूत बनाएं एवं समय रहते टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने समय पर वाहनों एवं अन्य संसाधनों, कीटनाशक स्प्रे का पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धता सुनिश्ििचत करने के निर्देश दिए।

सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाएं शिविर

जिला टिड्डी नियंत्रण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे सीमा क्षेत्र के गांवों से टिड्डी प्रवेश की संभावनाओं के मद्देनज़र ऎसे स्थानों का चयन कर वहां कैम्प लगाने की व्यवस्था करें ताकि टिड्डी दल आगमन के साथ ही उस प्रकोप को आरंभिक अवस्था में खत्म किया जा सके। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को टिड्डी नियंत्रण कक्षों का प्रभावी ढंग से संचालन करने के निर्देश दिये।

कीटनाशक स्प्रे की जरूरत से कराएं अवगत

जिला कलक्टर ने उप निदेशक कृषि विस्तार राधेश्याम नारवाल से कहा कि जिन सहकारी समितियों पर कीटनाशक स्प्रे की जरूरत रहेगी उसकी सूची उपलब्ध कराएं ताकि सहकारी विभाग से उन समितियों पर कीटनाशक दवाइयों की आवश्यक मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि टिड्डी दल के नियंत्रण के संबंध में पटवारी, गिरदावर की भी बैठक लेकर उनको भी सतर्क करें।

बैठक में उप निदेशक कृषि विस्तार राधेश्याम नारवाल, जिला टिड्डी नियंत्रण अधिकारी राजेश कुमार आदि अधिकारियों ने विचार रखे।

---000---

जैसलमेर - बिजली प्रबन्धन तंत्र द्वारा नियंत्रण कक्ष संचालित,
बिजली समस्याओं का समाधान पाने नियंत्रण कक्ष का सहयोग

जैसलमेर, 06 मई/अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम एन.के.जोशी ने एक आदेश जारी कर जिले में गर्मी के मौसम एवं आंधी, तूफान एवं बरसात को देखते हुए जैसलमेर वृत की विद्युत सप्लाई को सुचारु एवं निर्बाध बनाए रखने के लिए कार्यालय अधीक्षण अभियंता जैसलमेर में नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया है जो चौबीस घण्टे संचालित रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02992-254841 है। इस नियंत्रण कक्ष पर विद्युुत संबंधी समस्या के सम्बन्ध में सूचना दी जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस नियंत्रण कक्ष के संचालन के लिये विभिन्न पारियों के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारी भी लगा दिये गये हैं। इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिशाषी अभियंता के.सी.किराड़ को लगाया गया है जिनके मोबाईल नम्बर 9414021327 हैं।---000--

डाक विभाग द्वारा डोर टू डोर भुगतान की सुविधा,
ए.ई.पी.एस के माध्यम से की गई है यह व्यवस्था

जैसलमेर, 06 मई/डाक विभाग द्वारा पोस्ट पैमेन्ट्स खाते के अलावा (आईपीबी) के अलावा बैंक खाते में जमा राशि का भुगतान भी डाक विभाग द्वारा ए.ई.पी.एस के माध्यम से डोर-टू-डोर भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिये अधिकतम भुगतान की राशि 10 हजार रुपये है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.विश्नोई ने बताया कि डाक विभाग के कार्मिकों द्वारा आईपीबी के माध्यम से जनधन खाताधारकों एवं पेंशनर्स को (कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र को छोड़कर) डोर-टू-डोर अनुग्रह राशि का भुगतान सोशल डिस्टेसिंग के मानदण्डों की पालन करते हुए किया जा सकेगा।

--000--

जैसलमेर बाहर से आने वालों को किया गया होम क्वारेंटाईन -,
निर्देशों की पालना के लिए दी गई सख्त हिदायतें

जैसलमेर, 6 मई कोरोना महामारी से/बचाव एवं रोकथाम के लिए जैसलमेर जिले में व्यापक स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है और सभी प्रकार के निरोधात्मक उपायों को अमल में लाया जा रहा है।

जिले में बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और तमाम औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के बाद उन्हें अपनेअपने घरों में क्वारेंटाईन किया जा रहा है। जिन लोगों को होम क्वारेंटाईन किया गया है उनके घरों के बाहर बाकायदा - नोटिस चस्पा किया गया है और इन लोगों को होम क्वारेंटाईन में रहने को लेकर सभी प्रकार के जरूरी निर्देशों के बारे में समझा दिया गया है।

बुधवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में काफी लोगों को होम क्वारेंटाईन किया जाकर नोटिस चस्पा करने का काम किया गया।

---000---

बिना मास्क एवं अनुमति के घूमने वालो की खैर नहींa

पुलिस थाना पोकरण व खुहडी द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क व अनुमति के घूमते पाये जाने पर 24 व्यक्तियों को किया गिरफतार

ज्ञात रहे कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य करने के आदेषो की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर किरन कंग सिद्धू द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारियों एवं थानाधिकारियों को अपने-अपने हल्का क्षेत्र में मास्क नहीं पहने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। निर्देशों की पालना में अतिरिक्ि पुलिस अधीक्षक राकेश बैरवा व वृताधिकारी वृत पोकरण मोटाराम के सुपरविजन एवं थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण सुरेन्द्रसिंह के नेतृत्व में पोकरण शहर में गश्त कर शहर में बिना मास्क लगाये घूम रहे कुल 15 व्यक्तियों ज्ञात रहे आज दिनांक 05-05-2020 को पुलिस थाना पोकरण द्वारा धारा 144 सीआरपीसी मे लॉकडाउन व कर्फ्यु की पालना मे ड्युटी के दौरान बिना मास्क,बिना अनुमति के कस्बा मे घुमते 01-शरीफ खां पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी इन्द्रानगर पुलिस थाना भणियाणा 02-रफीक पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान उम्र 18 साल निवासी इन्द्रानगर पुलिस थाना भणियाणा 03-कैलाश चन्द पुत्र रामाकृष्ण जी जाति जागिड उम्र 60साल निवासी अजमेर 04- पवन पुत्र मोहनलाल जाति जागिड उम्र 25 साल निवासी अजमेर 05- हेतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति नायक उम्र 37 साल निवासी नाहरकेन्द्र नाचना पुलिस थाना नाचना06- बच्चूसिह पुत्र भोपसिह जाति राणा राजपूत उम्र 40साल निवासी शिवपुरा कस्बा पोकरण 07- कैलाश पुत्र जयकिशन जाति माली उम्र 36 साल निवासी वार्ड न. 17 कस्बा पोकरण 08-जगदीश पुत्र भवराराम जाति माली उम्र 25 साल निवासी कुम्हारों की पोल कस्बा पोकरण 09-शकूर पुत्र वली खां जाति मुसलमान उम्र 30 साल निवासी भण्यिणा जिला जैसलमेर 10 रावलसिह पुत्र चौनसिह जाति राजपूत उम्र 40साल निवासी बिलीया पुलिस थाना पोकरण 11- दीने खां पुत्र गन्नी खां जाति मुसलमान उम्र 21साल निवासी शेरगढ जिला जैसलमेर 12-सिकन्दरखांन पुत्र भीखे जाति मुसलमान उम्र

22साल निवासी उजला पुलिस थाना पोकरण 13-नवाब खां पुत्र भीखे जाति मुसलमान उम्र 20साल निवासी उजला पुलिस थाना पोकरण 14- अतामोहम्मद पुत्र फिरोज खां जाति मुसलमान उम्र 22साल निवासी भाखरी पुलिस थाना भणियाणा 15- सवाईराम पुत्र रतनलाल जाति खटीक उम्र 16 साल निवासी कस्बा पोकरण पुलिस थाना पोकरण 16- कैलाश पुत्र हनुमानाराम जाति खटीक उम्र 25साल निवासी कस्बा पोकरण 17-दमाराम पुत्र नेमाराम जाति मेघवाल उम्र 30साल निवासी जैमला पुलिस थाना सांकडा जिला जैसलमेर 18 सन्तोष कुमार पुत्र सीताराम जाति पहेल उम्र 32साल निवासी सीतामढी (बिहार) 19 हुसैन खां पुत्र मठार खां जाति मुसलमान उम्र 22साल निवासी उजला पुलिस थाना पोकरण 20 सुखाराम पुत्र गोरखाराम जाति सुथार उम्र 34साल निवासी केलावा पुलिस थाना पोकरण 21 मांगीलाल पुत्र जोगाराम जाति सुथार उम्र 17 साल निवासी लंवा पुलिस पोकरण 22 रूगाराम पुत्र भीखाराम जाति भील उम्र 30साल निवासी लंवा पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेर को धारा 107151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

इसी प्रकार थानाधिकारी पुलिस थाना खुहडी द्वारा नाकाबंदी के दौरान बिना मास्क व अनुमति के घूमने पर 02 व्यक्तियों 01 सवाई सुथार पुत्र श्री मुलतानाराम उम्र 20 साल जाति सुथार निवासी खुहडी पुलिस थाना खुहडी जिला जैसलमेर 02 अशोक सुथार पुत्र श्री खेताराम उम्र 20 साल जाति सुथार निवासी खुहडी जिला जैसलमेर को धारा 107 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

बाहर से आये प्रवासी व्यकित्यों के बाहर घूमते हुए पाया जाने पर की जायेगी कार्यवाही

अन्य राज्यों से जो कोई भी व्यकित इस जिले में आये है वह अपने अपने घरो में होम कोरेन्टाईन में रहे तथा बाहर ना घूमे ऐसा कोई व्यकित बाहर घूमता हुआ या ऐसे किसी व्यकित की सुचना पुलिस को मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल लाई जावेगी

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन से अपील

पुलिस अधीक्षक द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला वासियों से अपील की है आप द्वारा आज दिन तक जिले में पुलिस एवं प्रशासन को व्यवस्थाऐं बनाने में जो सहयोग किया है तथा उक्त सहयोग के कारण जैसलमेर जिला काफी हद तक कोरोना वायरस के संक्रमण के भयानक रूप से बचा हुआ हैं, आज लोग इसी प्रकार आगे भी पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करे तथा कोराना वायरस से लडने के लिए हर वक्त साथ में खडे रहे बिना किसी जरूरी कार्य से घरो से ना निकले, सोशल डिस्टेसिंग की पालना करे तथा कोरोना वरियरस को सहयोग करे तथा उनका हौसला बढाये तथा अन्य राज्यों से आने वाली आमजन से भी अपील है कि आप अपना सही चैकअप करवाने के बाद ही अपने घरो में जाये तथा कम से कम 15 दिन होम कोरेन्टाईन में रहे जिससे आप एवं आपका परिवार, समाज एवं जिला सुरक्षित रह सको

----0000-------

उपखण्ड अधिकारी दिनेश विश्नोई ने ली बैठक,
बाहर से आए व्यक्तियों को होम क्वारेन्टाईन में रखने के दिए निर्देश

जैसलमेर, 6 मई/उपखण्ड अधिकारी दिनेश विश्नोई ने बुधवार को उपखण्ड कार्यालय में अधिकारियों एवं कार्मिकों की बैठक ली और जैसलमेर शहर सहित उपखण्ड क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा लॉक डाउन की पालना आदि से संबंधित पालना की समीक्षा की तथा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

उपखण्ड अधिकारी विश्नोई ने बैठक में उपस्थित अधिकरियों को शहर में आए प्रवासी लोगों को होम क्वारेंटाईन करने एवं अन्य निर्देशों की पालना

करने के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जैसलमेर शहर में वार्ड/ कॉलोनी/मोहल्ले वार टीमें बनाकर बाहरी व्यक्तियों को क्वारेन्टाईन करें। साथ ही उन्होंने सभी टीम भावना से कार्य कर 24 घण्टे सजग रहकर सकारात्मक तरीके से भली-भांति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपखण्ड अधिकारी विश्नोई ने कहा कि शहर में बाहर से आए प्रत्येक व्यक्ति को क्वारेंटाईन करने के प्रति गंभीर रहें और इनके बारे में पूरा और पक्का ध्यान रखें। जहां कहीं अवहेलना होने की स्थिति सामने आए, तत्काल प्रशासन को सूचित करें ताकि कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

उन्होंने इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए नायब तहसीलदार को प्रभारी नियुक्त कर सभी कार्मिकों का एक गुरप बनाने के निर्देश दिए।

----000----

कोरोना के कर्मवीर श्रम कल्याण अधिकारी
ने रक्तदान कर निभाया सामाजिक धर्म

जैसलमेर, 6 मई/जिले में श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत मनोज कुमार चौधरी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट(कंट्रोल रूम) में प्रभारी अधिकारी के तौर पर वर्तमान में इस कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

बुधवार को दूरभाष पर मिली जानकारी पर उन्होंने श्रीजवाहिर चिकित्सालय में गभर्वती महिला को रक्त की आवश्यकता होने तथा रक्त नहीं मिलने पर महिला एवं बच्चे को खतरा होने की बात सुनने पर उन्होंने तुरन्त श्रीजवाहर चिकित्सालय में पहुंचकर रक्त दिया। उनके इस पुण्य के कार्य पर गर्भवती महिला के परिवारजनों ने चौधरी का आभार व्यक्त किया।

-----000-----

जैसलमेर जिला कलक्टर नमित मेहता ने सख्त आदेश जारी किए,
जिलेवासियों का कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए कड़े निर्देश दिए

जैसलमेर, 6 मईनमित मेहता ने लॉक डाऊन की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों (कलक्टर) जिला मजिस्ट्रेट/ जो कि संबंधित राज्यों से परमिट आदि लेकर राज्य में प्रवेश) से राजस्थान में आ रहे राजस्थान के मूल निवासियों गांव आ र/ले रहे हैं एवं अपने शहरहे हैं।की स्थिति में जिले के लोगों का कोरोना संक्रमण से बचाव करने के (उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से विभिन्न कड़े निर्देश जारी किए हैं।

चैक पोस्ट पर पूर्ण विवरण का अंकन हो, सभी को क्वारेंटाईन किया जाए

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा पर स्थापित चैक पोस्ट पर आने वाले समस्त आगन्तुकों का रजिस्ट्रीकरण निर्धारित प्रपत्र में किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि इसमें उनका नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि अंकित हो। यह कहा गया है कि चैक पोस्ट पर से गन्तव्य स्थान के लिए रवाना करने से पूर्व श्रमिकोंप्रवासियों की आईएलआई के लक्षणों की स्क्रीनिंग की जायेगी व जिले में उनके गन्तव्य स्थल / पर पहुंचने के बाद इन्हें होम या संस्थागत क्वोरोनटाइन किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि श्रमिकप्रवासी जो प्रशासन को सूचना दिये बगैर घर पहुंच जाते हैं/, उनके बारे में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी जिला स्तरीयउपखण्ड स्तरीय नियन्त्रण कक्ष पर / सूचना देवें ताकि ऐसे व्यक्ति को14 दिनों तक विधिवत क्वोरोनटाइन किया जा सके। बॉर्डर चैक पोस्ट पर संबंधित

उपखण्ड अधिकारीविकास अधिकारी/, पंचायत समिति द्वारा छाया, पेयजल, चिकित्सक जांच की सुचारू व्यवस्था की जाएगी।

बंध पत्र भरवाया जाएगा

आदेश के अनुसार प्रवासी राजस्थानियों को होम क्वोरोनटाइन करने से पूर्व उनसे एक बंध पत्र भरवाया जावेगा जिसमें वे यह शपथ लेंगे कि क्वोरोनटाइन अवधि के दौरान वे अपने घर पर निर्धारित कमरे के अन्दर ही रहेंगें। किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करेंगे।

रोजाना पर्यवेक्षण होगा, जियो टैगिंग होगी

आदेश के अनुसार समस्त उपखण्ड अधिकारी, होम क्वोरोनटाइन को सही ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिये क्षेत्रवार फील्ड स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। इसके लिए उसी क्षेत्र के सरकारी कार्मिकों का उपयोग प्राथमिकता से किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर पीईईओ की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई है वो अपने पंचायत क्षेत्र में प्रतिदिन होम क्वोरोनटाइन प्रवासियों का पर्यवेक्षण करेगी। इसके साथ ही पीईईओ समिति द्वारा सभी प्रवासियों का जियो टैगिंग भी किया जायेगा। सभी के द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण की सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अन्तराल में चिकित्सकीय जांच , विचरण पर नज़र रहेगी

आदेश के अनुसार होम क्वोरोनटाइन प्रवासियों की नियमित अन्तराल में चिकित्सकीय जांच एवं पर्यवेक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर दलों का गठन करेंगे। संयुक्त निदेशक, डीओआईटी, जैसलमेर मोबाईल नंबर से मोबाईल एप के जरिए क्वोरोनटाइन व्यक्तियों के विचरण का परीक्षण कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

घर के बाहर सूचना चस्पा की जाएगी

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बाहर से आने वाले प्रवासियों के बारे में कोविड-19 के अन्तर्गत एक प्रपत्र में सूचना भरकर उनके घर के बाहर चस्पानगी की जाएगी जिसमें यह अंकित किया जाएगा कि उक्त व्यक्ति 14 दिनों के लिए होम क्वोरोनटाइन है। उक्त चस्पानगी का फोटो भी लिया जाए एवं कोविड-19 के ग्रुप में इसे 7ोयर किया जाएगा।

चौतरफा चौकसी, रेण्डम सेम्पल लिए जाने के निर्देश

आदेश में कहा गया है कि जिस जगह पर प्रवासी राजस्थानी का घर होगा, उसके पड़ोसियों को भी इस बात की सूचना दी जाएगी कि उक्त व्यक्ति राजस्थान के बाहर से आया है और होम क्वोरोनटाइन है। यदि उक्त प्रवासी राजस्थानी द्वारा किसी भी तरह की होम क्वोरोनटाइन की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासन को सूचित किया जाए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आदेशित किया गया है कि समुचित संख्या में प्रवासियों के सेम्पल रेण्डम आधार पर लिया जाना सुनिश्चित करेंगें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन प्रवासियों में आईएलआई के लक्षण पाये जाते हैं, उनके प्राथमिकता से सेम्पल लिये जाएं। साथ ही यदि उक्त प्रवासी होट स्पोट या कन्टेनमेंट जोन से आ रहा है तो उनके सेम्पल भी प्राथमिकता से लिये जाएं और प्रवासी राजस्थानियों में जो वृद्ध, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो, उनका भी प्राथमिकता के आधार पर सेम्पल लिया जाएं।

वाहनों को भी किया जाएगा सेनिटाईज

आदेश में कहा गया है कि चैक पोस्ट पर जिन वाहनों से प्रवासी आ रहे हैं, उन वाहनों को भी सेनिटाईज किया जाएगा। जैसलमेर नगर परिषद एवं पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में क्रमशः आयुक्त, नगर परिषद, जैसलमेर एवं अधिशाषी अधिकारी, पोकरण होम क्वोरोनटाइन प्रवासियों के नियमित पर्यवेक्षण के लिये वार्डवाईज दलों का गठन करेंगे। उक्त दल नियमित रूप से क्वोरोनटाइन प्रवासियों का पर्यवेक्षण करेंगें एवं जियो टैिंगग का भी कार्य

सम्पादित करेंगें। जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों से कहा गया है कि बाहर से आने वाले वाले प्रवासियों के लिये अपनेअपने क्षेत्र में इन निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाएं एवं समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।-

---000---

कोरोना हैल्थ बुलेटिन - 06 मई 2020

जैसलमेर - बुधवार को कुल 59 रिपोर्ट प्राप्त, सभी नेगेटिव,

जिले से बुधवार को 122 सेम्पल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए

जैसलमेर, 06 मई/ जैसलमेर जिले से पूर्व में भिजवाए गए कोरोना सैंपल्स में बुधवार को 59 जनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आयी। जिले से बुधवार शाम तक कोरोना संक्रमण जांच के लिए 122 सेम्पल लेकर बाड़मेर भिजवाए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल ने बुधवार रात यह जानकारी देते हुए बताया कि जैसलमेर जिले में आरंभ से बुधवार शाम तक कोरोना जांच के लिए कुल 1 हजार 915 सेंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 1 हजार 631 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इनमें अब तक मात्र 35 ही पोजिटीव निकले हैं जबकि अब तक 1 हजार 596 जनों के कोरोना सैंपल जांच में नेगेटिव आ गए हैं।

---000---

मोबाईल ओपीडी सेवा से ग्रामीणों को मिल रही है राहत,

जैसलमेर जिले के 67 गांवों के 2 हजार 214 मरीज लाभान्वित

जैसलमेर, 6 मई/कोरोना वायरस संक्रमण काल में ग्रामीण क्षेत्र में आम जन को चिकित्सा सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी.के. बारूपाल ने बताया कि जिले में 23 अप्रेल से 6 मई, बुधवार तक मोबाईल ओपीडी सेवा अन्तर्गत कुल 67 गांवों में 2 हजार 214 मरीजों को आवश्यक उपचार, परामर्श एवं दवाइयाँ प्रदान कर लाभान्वित किया गया है तथा मोबाईल ओपीडी सेवा अन्तर्गत 104 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान की गई।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम अजय सिंह कडवासरा ने बताया कि बुधवार को जिले के चौधरिया, दिधू, केशुलापाना एवं खेतसर गांवों में चिकित्सा दलों ने मोबाईल ओपीडी सेवा के माध्यम से कुल 74 मरीजों को आवश्यक उपचार, परामर्श एवं दवाइयाँ प्रदान कर लाभान्वित किया ।

---000---